□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्या□ □□□□□

□□ज□ □□□
□तारांकित प्रश्न संख्याः 106
21 □□, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
□□□ □□□□□

106. श्री□ □□□□ □□□□□र्न्न□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण □□ज□ □त्री□ □□ बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि केरल को एक महिला रोगी को केरल म मेडिकल □□□□ □स□□□□ □ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □ो□□□□□□ □ो □□ □□;

(□) □ि□ □□,□तो इस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस घटना के संबंध म राज्य सरकार से कोई रिपोट मांगी है और यदि □□,□□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □;□

(घ) क्या सरकार ने देश म निजी चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशालाओं के कार्यों को निगरानी के □□□ ि□□□ विनियमन और निगरानी तंत्र को स्थापना □ो □;□□□

(□) □ि□ □□,□□ □त□□□□ ब□□□□ क□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ों □□ □□□□ □□ों □□□□□□□□ □□ □□□त्र□ □□ बाहर को प्रयोगशालाओं के खिलाफ क्या कारवाई को है?

□त्त□

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण □□ज□ मंत्री (श्री □श्वि□□ □□□□ □□□)□

(□) □□ (□): जैसाकि केरल को राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, □□ प्र□□□□ □□□□□□ प्रयोगशाला को रिपोट के आधार पर राजकोय □□□□□ □□□□, □ट्ट□□□ □ □□ □□□□□ □□□□ को कोमोथेरेपी को गई थी। मामले को जांच गई थी तथा रिपोट म यह बताया गया है कि उपचार

करने वाले डॉक्टरों को कोई गलती नहों थी। उन्होंने नैदानिक रिपोट पर वि[illegible] नैदानिक लक्षणों पर विश्वास किया जिनम कसर का संकेत किया गया था तथा ट्यूमर के आकार को कम करने तथा दूसरे अंगों म होने वाले (माईक्रोमेटास्टासिस) सूक्ष्म ट्यूमर को रोकने के लिए मरीज को कोमोथेरेपी को गई थी। बहुआयामी ट्यूमर बोड के निणय [illegible] सर्वात्तम योग्यताओं और निणय के अनुसार काय [illegible]

([illegible]): [illegible]

(घ) और (ड.) : स्वास्थ्य राज्य का विषय है। फिर भी, भारत सरकार ने नैदानिक स्थापनाओं द्वारा उपलब्ध [illegible]राई जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनमत मामलों [illegible] मद्देनजर नैदानिक स्थापना ([illegible] [illegible]र प्राइवेट दोनों) [illegible] (पंजीकरण [illegible]) [illegible], 2010 [illegible] है। उपयुक्त [illegible] ([illegible]) [illegible], 2012 [illegible], [illegible] राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों म जहां उक्त [illegible], नैदानिक स्थापनाओं से अन्यों के साथ साथ यह भी अपेक्षा को जाती है कि वे केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा [illegible] दिशानिदेशों (एसटीजी) का अनुपालन कर, उपलब्ध कराई गई प्रत्येक प्रकार को सेवाओं के लिए वसूल को जाने वाली दरों तथा उपलब्ध सुविधाओं को एक स्थानविशेष पर प्रदर्शित कर तथा [illegible]-[illegible] विचार विमश के पश्चात निर्धारित को जाने वाली दरों को सीमा के भीतर ही प्रत्येक प्रक्रिया और सेवा के लिए दरों को वसूली कर। राष्ट्रीय नैदानिक स्थापना परिषद् ने चिकित्सा प्रक्रियाओं और चिकित्सा प्रक्रियाओं को लागत का निधारण करने के [illegible] क्षेत्रों [illegible], [illegible] [illegible]क्त अधिनियम का कायान्वयन और प्रवतन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कायक्षेत्र के अंतगत आता है।

****